



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 4 अगस्त, 2021

श्रावण 13, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 706/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(196)-2021

लखनऊ, 4 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प०आ०-282

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर और अधिसूचना सं० 1404/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश(169)-2020, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020, सिवाय उन संदर्भित चीजों के, जो की जा चुकी हों या ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किये जाने हेतु छूट चुकी हों, का अधिक्रमण करके एतद्द्वारा 1 दिसम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि के मध्य अधिसूचना सं० 429/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश(107)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 के उपबंधों का अनुपालन न किये जाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 125 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय शास्ति की धनराशि का अधित्यजन करती हैं।

आज्ञा से,  
संजीव मित्तल,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 706 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(196)-2021, dated August 4, 2021 :

No. 706 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(196)-2021

*Dated Lucknow, August 4, 2021*

In exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council and in supersession of notification no. 1404/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(169)-2020, dated December 22, 2020, except as respects things done or *omitted* to be done before such supersession, hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under section 125 of the said Act for non-compliance of the provisions of notification no. 429/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(107)-2020, dated April 30, 2020, between the period from the 1<sup>st</sup> day of December, 2020 to the 30<sup>th</sup> day of September, 2021.

By order,  
SANJIV MITTAL,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 268 राजपत्र-2021-(602)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 24 सा० राज्य कर-2021-(603)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।